संख्याः 2488 / III–2 / 08–03(मु0मं0घो0) / 2008

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

मुख्य अभियन्त स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 25 जुलाई, 2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2008–09 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं से सम्बन्धित नये कार्यो की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सलग्न सूची में उल्लिखित 31 कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित विवरणानुसार कुल रु0 3.10 लाख (रु0 तीन लाख दस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– उक्त स्वीकृति के सापेक्ष संलग्न सूची में वर्णित कार्यो हेतु प्रचलित व्यवस्था एवं शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप प्रारम्भिक आगणन गठित कर मुख्य अभियन्ता के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त शासन में उपलब्ध कराया जायेगा तथा शासन से आगणन की स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ करते हुये स्वीकृत धनराशि व्यय की जायेगी।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व सभी कार्यो के लिये सक्षम स्तर से प्राविधिक स्वीकृति भी प्राप्त करली जायेगी तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा जिसके लिये यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4– कार्य कराने से पूर्व समस्त वांछित औपचारिकताऐं पूर्ण कराते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचिलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाये।

5– यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से धनराशि पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हो तो उस कार्य हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों / पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एंव वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकरी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाये। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2009 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाये। कार्य कराते समय टैण्डर तदविषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाये। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर कार्य पूर्ण होता है तो ऐसी समस्त बचतों की प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाये।

7– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य के निमित्त पूर्व में किन्हीं अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई हो तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04–जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत–800–अन्य व्यय–03–राज्य सेक्टर–02–नया निर्माण कार्य–24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–यू0ओ0–373/XXVII(2)/08 दिनांक 25 जुलाई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– 31 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या:– 2485 (1)/III(2)/08–03(मु0मं0घो0)/08 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, लेखा प्रथम, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, मांजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल/कुमांयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3– समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य अभियन्ता, कुमॉयू क्षेत्र/गढ़वाल क्षेत्र लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/पौडी।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8– लोक निर्माण विभाग, अनुभाग–1/3, उत्तराखण्ड शासन/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

18.	जनपद उत्तरकाशी में ज्ञानसु कडोला में भागीरथी नदी पर पैदल सेतु का निर्माण (पहुँच मार्ग सहित)	125.00 मी0	271.25	0.10
19.	जनपद उत्तरकाशी में डुण्डा–धनारी–सेम–मुखेम मो0 मार्ग का पट्टी से आगे सेम नागराजा मन्दिर तक विस्तार।	10.00	367.50	0.10
20.	लाटा सौरा में भागीरथी नदी पर मोटर पुल का निर्माण कार्य।			0.10
21.	जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में ममणी–जखोली–चौरा मार्ग का डामरीकरण कार्य ।	05.00	105.00	0.10
22.	जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में सिराई–नंदवाण गांव–भटवाडी मोटर मार्ग का नव निर्माण।	06.00	220.50	0.10
23.	जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में तिमली–मरोड़ा–किरोड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण।	04.00	147.00	0.10
24.	जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में सिद्धसौड–टाट–पाली–सिमली मोटर मार्ग का नव निर्माण।	03.00	110.25	0.10
25.	जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में बन्दरतौली–मावाणगांव–बरसारी मोटर मार्ग का नव निर्माण।	04.00	147.00	0.10
26.	जनपद उत्तरकाशी में राजगढी में गंगाटाडी तक मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य ।	06.00	151.20	0.10
27.	जनपद उत्तरकाशी में चन्दा डोखरी से भरदार होते हुये खनारगाड़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	05.00	183.75	0.10
28.	सांकरी ताकुला ओसला मोटर मार्ग का निर्माण ।	27.00	1258.00	0.10
29.	दूधपोखरा–छेडापानी–रुइया–कफल्टा–खोकिया मोटर मार्ग का निर्माण।	27.00	1032.60	0.10
30.	चम्पावत–गौडी–किमतोली मोटर मार्ग के अवशेष 04 किमी0 भाग का निर्माण एवं इस मार्ग पर पडने वाले 30 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	04.00	213.90	0.10
31.	डुगरी,डुमलोट, सियाभेल, क्वली, डोभा, किनाथी,पटोटिया मोटर मार्ग का विस्तारीकरण ।	10.00	367.50	0.10
	कुल योग		1623.97	3.10

(रू0 तीन लाख दस हजार मात्र)

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

पत्रांक 1559 / 20 पी०ला० दि० 28/7/08

प्रति निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
(1) मुख्य अभि० लो०नि०वि० पौड़ी / अल्मोड़ा
(2) अधी० अभि० प्रथम / तृतीय / छठवां / सातवां / बारहवां वृत्त लो०नि०वि०
अधि० अभि० ... / पिथौरागढ़ / उत्तरकाशी / गोपेश्वर / पौड़ी / अल्मोड़ा
(3) बजट / पत्रावली

मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग
देहरादून
28/07/08